[ 2021 ] 2 एस. सी. आर 986

रावुरी कृष्ण की मृत्यु

वी.

तेलंगाना राज्य और अन्य

( आपराधिक अपील सं। 274–275 2021 का)

05 मार्च, 2021

[ डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

एम. आर. शाह, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.482-गिरफ्तारी से सुरक्षा का ब्लैंकेट आदेश-स्थिरता-उच्च न्यायालय ने 2014 के ओएस नंबर 274 के मुकदमे में सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी और जिला कलेक्टर को निर्देश दिया कि वे निर्णय और डिक्री दिनांक 11.11.2014 के मनगढ़ंत आरोप के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उक्त मुकदमा-जिला कलेक्टर ने एक जांच की और उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि डिक्री के साथ-साथ निर्णय भी मनगढ़ंत था और इस तरह का कोई डिक्री पारित नहीं किया गया था।

प्रत्यर्थी को गिरफ्तार किया गया और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया कि क्या उच्च न्यायालय एक पारित करने में उचित था पुलिस को तीसरे प्रतिवादी को गिरफ्तार करने से रोकने का पूर्ण निर्देश, जबकि साथ ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यू/एस को रद्द करने के लिए याचिका में कोई योग्यता नहीं थी। 482 – आयोजित किया गयाः उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था

यू/एस। 482 और, इसलिए, कार्यवाही को रद्द करने के लिए आवेदन को खारिज कर दिया-समान रूप से, इसका कोई आधार या औचित्य नहीं था

निर्देश देते हुए कि तीसरे प्रतिवादी को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए और जांच अधिकारी को जांच पूरी करनी चाहिए और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए। s.173 Cr.P.C. तीसरे प्रतिवादी को गिरफ्तार किए बिना उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह के निर्देश में बाधा डालने का प्रभाव पड़ता है

जाँच के क्रम और कानून में इसका कोई आधार या औचित्य नहीं है-तीसरे प्रतिवादी के पद पर एक व्यक्ति के पास अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उपचार उपलब्ध हैं।

या तो अग्रिम जमानत की मांग करके। 438 Cr.P.C. या नियमित जमानत के लिए आवेदन करना। 439 – उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए प्रकृति के एक पूर्ण निर्देश से जांच पूरी तरह से बाधित हो जाएगी और आपराधिक न्याय के प्रवर्तन में गंभीर बाधा उत्पन्न होगी-उच्च न्यायालय का उक्त निर्देश कानून में टिकाऊ नहीं है-उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय और आदेश, जहां तक यह जांच अधिकारी को तीसरे प्रतिवादी को गिरफ्तार करने से रोकता है, उसे दरकिनार कर दिया जाता है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. उच्च न्यायालय का विचार था कि (i) आरोपों की सच्चाई एक ऐसा मामला था जिसका पता लगाने के लिए

जाँच अधिकारी जाँच के दौरान; और (ii) आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, दूसरे प्रतिवादी (प्रथम अभियुक्त) को कोई राहत नहीं दी जा रही थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने तीसरे प्रतिवादी (दूसरे आरोपी) की गिरफ्तारी के खिलाफ एक व्यापक प्रतिबंध जारी करते हुए निर्देश दिया कि पुलिस जांच पूरी करेगी और कानून के अनुसार अंतिम रिपोर्ट दायर करेगी। इस न्यायालय का सकारात्मक दृष्टिकोण है कि उच्च न्यायालय का निर्देश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। फैसले के पहले भाग में दिए गए विवरण से संकेत मिलता है कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी

कलेक्टर द्वारा उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया गया जिसने न्यायिक रिकॉर्ड के मनगढ़ंत होने के संबंध में आरोप की जांच अनिवार्य कर दी थी। कलेक्टर द्वारा दायर रिपोर्ट के अनुसार, उच्च न्यायालय ने उप-मंडल मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि

कानून के अनुसार प्रशासनिक पक्ष पर आगे बढ़ें। इस संबंध में एक गंभीर आरोप वाली प्राथमिकी दर्ज की गई है।

न्यायिक अभिलेखों के निर्माण के लिए। [ पैरा 8] [991-ई-जी; 992-ए]

2. उच्च न्यायालय को धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करने में उचित ठहराया गया था और इसलिए,

कार्यवाहियों को निरस्त करने के लिए आवेदन। समान रूप से, यह निर्देश देने का कोई आधार या औचित्य नहीं था कि तीसरे प्रतिवादी को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए और जांच अधिकारी को [2021] 2 एस. सी. आर. पूरा करना चाहिए।

जांच करना और तीसरे को गिरफ्तार किए बिना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट दायर करना। उत्तरदाता। उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह के निर्देश का प्रभाव है -

जाँच के पाठ्यक्रम में बाधा डालना और इसका कानून में कोई आधार या औचित्य नहीं है। धारा 482 के तहत याचिका प्राथमिकी को रद्द करने के लिए थी। उच्च न्यायालय ने याचिका में कोई सार नहीं पाया। मामला वहीं खत्म होना चाहिए था। गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश आगे की कार्यवाही के लिए सहायक नहीं था। वास्तव में, उच्च न्यायालय द्वारा प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार करने के बाद कार्यवाही समाप्त हो गई थी। तीसरे उत्तरदाता की स्थिति में एक व्यक्ति के पास उपाय हैं

उसकी रक्षा के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उपलब्ध

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत लेने या धारा 439 के तहत नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता। उच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रकृति का एक व्यापक निर्देश जांच को पूरी तरह से विस्थापित कर देगा और प्रवर्तन में गंभीर बाधा पैदा करेगा। आपराधिक न्याय। ऐसा आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया जाना चाहिए था। यौगिकों का महत्व यह है कि इस तरह का निर्देश जारी करने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश में औचित्य में एक शब्द भी नहीं है। उच्च न्यायालय न्यायिक रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ से जुड़े आरोपों की गंभीर प्रकृति से अनजान रहा है। यह न्यायालय इसके बाद के पाठ्यक्रम को अस्वीकार करता है

उच्च न्यायालय। इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। [ पैरा 10] [993-बी-एफ]

तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी और ओआरएस। ( 2017 ) 2 एससीसी 779: [ 2017 ] 1 एससीआर 141-निर्भर

पर।

मामला कानून संदर्भ

[ 2017 ] 1 एससीआर 141

उस पर भरोसा करें

पैरा

9

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2021 का Nos.274-275

के 25.04.2016 और 27.07.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

आपराधिक याचिका Crl.P.No में तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय। आपराधिक याचिका सी. आर. एल. में 2016 का 6165 और 2016 का सी. आर. एल. एम. पी. सं. 10845। पी. नं. 2016 का 6165।

रावुरी कृष्ण मृत्यु बनाम। तेलंगाना राज्य और अन्य

जी. वी. आर. चौधरी, के. शिवराज चौधरी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री बीना माधवन, एस. उदय कुमार सागर, सुश्री स्वीना नायर, अनुकुल राज, कुमार दुष्यंत सिंह, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. 25 अप्रैल 2016 के एक आदेश द्वारा, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश ने अधिनियम की धारा 482 के तहत एक याचिका को खारिज कर दिया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973। हालांकि, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि रद्द करने का कोई मामला स्थापित नहीं हुआ था, एकल न्यायाधीश ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तारी से सुरक्षा का एक व्यापक आदेश दिया। दूसरे अभियुक्त को तीसरे प्रतिवादी के रूप में इन कार्यवाहियों में शामिल किया जाता है। 3. 29 मार्च 2016 को, पुलिस निरीक्षक, चारमीनार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद को अपीलार्थी से एक शिकायत प्राप्त हुई थी

जगन्नाथपुरम पंचायत, रंगपुरम गाँव, पालोंचा मंडल, खम्मम जिला, तेलंगाना में स्थित भूमि विज्ञापन मापने वाले एसी 3-18 गुंटा के मालिक होने का दावा करते हुए। यह आरोप लगाया गया था कि दूसरे प्रतिवादी (पहले आरोपी) ने तीसरे प्रतिवादी (दूसरे आरोपी) को अपने वकील के रूप में नियुक्त किया और वकील और मुवक्किल ने संपत्ति के संबंध में एक बिक्री विलेख बनाने के लिए सांठगांठ की। इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया था कि दूसरे प्रतिवादी ने उप-मंडल मजिस्ट्रेट, मोबाइल कोर्ट, भद्राचलम, खम्मम के समक्ष 2014 का ओएस नंबर 274 नामक एक मुकदमा दायर किया, जिसमें अपीलकर्ता के खिलाफ 30 दिनांकित मनगढ़ंत बिक्री विलेख के आधार पर मुकदमा संपत्ति के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई थी।

नवंबर 2005। यह आरोप लगाया गया है कि 2014 के ओएस संख्या 274 के अभिलेखों में दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में 11 नवंबर 2014 के एक पूर्व-पक्षीय निर्णय और डिक्री को गढ़कर छेड़छाड़ की गई थी। इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया था कि दूसरे प्रतिवादी ने एक नागरिक संशोधन याचिका दायर की थी

( 2014 का सी. आर. पी. सं. 4711) उच्च न्यायालय के समक्ष इस शिकायत के साथ कि उप-मंडल मजिस्ट्रेट विवाद पर निर्णय नहीं ले रहे थे। अपीलार्थी पर आरोप है कि उसने 2014 की सिविल संशोधन याचिका संख्या 4711 में 2014 की सिविल विविध संशोधन याचिका संख्या 6433 दायर की है, जिसमें 2014 के ओएस संख्या 274 में 2014 की आई. ए. संख्या 149 में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है। सिविल संशोधन के निपटारे तक। यह आरोप लगाया गया था कि दूसरे और तीसरे उत्तरदाताओं ने ओएस नंबर 274/2014 से संबंधित रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की थी और इस प्रक्रिया में, [2021] 2 एस. सी. आर. के डॉकेट शीट के साथ भी छेड़छाड़ की थी।

चल न्यायालय ने 11 नवंबर 2014 की एक पूर्व-पक्षीय डिक्री गढ़ी।

4. उच्च न्यायालय ने 12 दिसंबर 2014 के अपने आदेश द्वारा 2014 के ओएस संख्या 274 में सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी और जिले को निर्देश दिया

कलेक्टर, खम्मम 2014 के ओएस नंबर 274 में 11 नवंबर 2014 के फैसले और डिक्री के मनगढ़ंत आरोप के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। जिला कलेक्टर ने एक जांच की और उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि डिक्री के साथ-साथ निर्णय मनगढ़ंत था और 11 नवंबर 2014 को ओएस नंबर 274 2014 में सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, मोबाइल कोर्ट, भद्राचलम द्वारा ऐसा कोई डिक्री पारित नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने दूसरे प्रतिवादी द्वारा दायर नागरिक संशोधन (सी. आर. पी. संख्या 4711/2014) का निपटारा किया और उप-मंडल मजिस्ट्रेट को इस पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

प्रशासनिक पक्ष।

5. 29 मार्च 2016 को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 420,468 और 471 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि जांच के दौरान, यह सामने आया है कि दूसरे और तीसरे उत्तरदाताओं ने एक मजिस्ट्रेट क्लर्क (तीसरा आरोपी)। 3 अगस्त 2018 को तीनों अभियुक्तों के खिलाफ सक्षम अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। मामला, अर्थात्, सी. सी. सं. 465/2018, मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, नामपल्ली, हैदराबाद की फाइल पर लंबित है।

6. इन कार्यवाहियों में जो प्रमुख मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय को प्रकृति का एक व्यापक निर्देश पारित करने में उचित ठहराया गया था।

जैसा कि उसने किया, पुलिस को तीसरे प्रतिवादी को गिरफ्तार करने से रोकना, जबकि रावुरी कृष्ण मृत्यु बनाम।

तेलंगाना राज्य और अन्य [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

साथ ही इस निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद कि धारा 482 के तहत रद्द करने के लिए याचिका में कोई योग्यता नहीं थी। उच्च न्यायालय ने कहा हैः

" अभिलेख पर उपलब्ध पूरी सामग्री के अवलोकन पर, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कुछ आरोप हैं और जांच एजेंसी द्वारा जांच के दौरान उक्त आरोपों की सच्चाई या अन्यथा का पता लगाया जा सकता है और यह न्यायालय उक्त अपराध में कार्यवाही को रद्द करने के लिए इच्छुक नहीं है। इस स्तर पर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त अपराध के लंबित होने को देखते हुए, याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी और उत्पीड़न की भी आशंका है।

पुलिस।

आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय पहले याचिकाकर्ता-ए. 1 को कोई राहत देने के लिए इच्छुक नहीं है। जहां तक दूसरे याचिकाकर्ता-ए. 2 का संबंध है, संबंधित पुलिस को दूसरे याचिकाकर्ता-ए. 2 को गिरफ्तार किए बिना अपराध की जांच पूरी करने और कानून के अनुसार अंतिम रिपोर्ट, यदि कोई हो, दायर करने का निर्देश दिया जाता है। दूसरा याचिकाकर्ता-ए. 2 को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

आवश्यकता पड़ने पर जाँच अभिकरण के समक्ष और

जाँच एजेंसी के साथ सहयोग करें।

7. हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री जी. वी. आर. चौधरी, राज्य के विद्वान वकील सुश्री बीना माधवन और श्री अनुकुल राज, दूसरे और तीसरे उत्तरदाताओं के विद्वान वकील।

8. उच्च न्यायालय का विचार था कि (i) आरोपों की सच्चाई एक ऐसा मामला था जिसका जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा पता लगाया जाना था; और (ii) आरोपों को ध्यान में रखते हुए।

आरोपों की गंभीरता से, दूसरे प्रतिवादी (पहले आरोपी) को कोई राहत नहीं दी जा रही थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने तीसरे प्रतिवादी (दूसरे आरोपी) की गिरफ्तारी के खिलाफ एक व्यापक प्रतिबंध जारी करते हुए निर्देश दिया कि पुलिस जांच पूरी करेगी और कानून के अनुसार अंतिम रिपोर्ट दायर करेगी। हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण है कि उच्च न्यायालय का निर्देश है -

कानून में अस्थिर। फैसले के पहले भाग में दिए गए विवरण से संकेत मिलता है कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी

कलेक्टर, खम्मम द्वारा उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया गया जो था

न्यायिक अभिलेख गढ़ने के संबंध में आरोप की जांच का आदेश दिया। कलेक्टर द्वारा दायर रिपोर्ट के अनुसार, उच्च न्यायालय ने उप-मंडल मजिस्ट्रेट को सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर आगे बढ़ने का निर्देश दिया।

21 ] 2 एस सी आर।

न्यायिक अभिलेखों के गढ़े जाने के संबंध में एक गंभीर आरोप शामिल है। 9. तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी और Ors.[1] में, इस न्यायालय के समक्ष एक विवाद उत्पन्न हुआ जहां उच्च न्यायालय ने

जांच को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने से इनकार करते हुए, जांच एजेंसी को इस दौरान आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने से रोक दिया।

जांच पड़ताल की। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसा निर्देश उस धारा के तहत निर्धारित किसी भी शर्त को पूरा किए बिना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत एक अभ्यास के बराबर है। यह न्यायालय आयोजितः

" 16. तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों या मामले में क्या सामने आया है, इसका उल्लेख नहीं किया है।

जांच पड़ताल की। इसने सही ढंग से नोट किया है कि जाँच जारी है और मामले की जाँच पर रोक लगाना उचित नहीं है। इसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आवेदन का निपटारा कर दिया है और ऐसा करते हुए निर्देश दिया है कि जांच एजेंसी आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं करेगी। यह निर्देश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत एक आदेश के बराबर है, हालांकि उक्त प्रावधान की शर्तों को पूरा किए बिना। यह कानूनी रूप से अस्वीकार्य है। 23 ..... यहाँ यह बताने की आवश्यकता है कि जिन राज्यों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 को हटाया नहीं गया है

और क़ानून की पुस्तक में रखते हुए, उच्च न्यायालय को अच्छी तरह से सलाह दी जानी चाहिए कि अनुच्छेद 226 के तहत याचिकाओं पर विचार करते हुए

संविधान या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 न्यायिक संयम का प्रयोग करती है। हम जल्दबाजी में यह स्पष्ट कर सकते हैं कि न्यायालय, यदि वह उचित समझता है, रद्द करने और कानून द्वारा लगाए गए आत्म-संयम के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, जांच को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र रखता है और कानून में उचित समझे जाने वाले उचित अंतरिम आदेश पारित कर सकता है, लेकिन हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए या राय व्यक्त करते हुए वर्तमान प्रकृति का आदेश पारित करना बिल्कुल अकल्पनीय और अकल्पनीय है कि इस पर रोक लगाना उचित नहीं है।

जांच पड़ताल की। इस तरह का आदेश वास्तव में अनुचित और अनुचित है। इसकी कोई कानूनी मंजूरी नहीं है। न्यायालयों को पदच्युत करना चाहिए और

1 (2017) 2 एस. सी. सी. 779 रावुरी कृष्ण मृत्यु बनाम। तेलंगाना राज्य और अन्य [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

बेईमान वादियों को एक प्राथमिकी या जांच शुरू करने को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर करने और फिर एक अंतरिम आदेश द्वारा राहत पाने के लिए अदालत के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से रोकें। यह अदालत का दायित्व है कि वह

ऐसे सिद्धांतहीन और अनैतिक वादियों को दरकिनार कर दिया जाता है।

आपराधिक न्याय। ऐसा आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया जाना चाहिए था। यौगिकों की बात यह है कि इस तरह का निर्देश जारी करने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश में औचित्य में एक शब्द भी नहीं है। उच्च न्यायालय न्यायिक रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ से जुड़े आरोपों की गंभीर प्रकृति से अनजान रहा है। हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए पाठ्यक्रम को अस्वीकार करते हैं। इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। 11. हम तदनुसार अपीलों की अनुमति देते हैं और 25 अप्रैल 2016 के उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश को दरकिनार कर देते हैं।

जांच अधिकारी को तीसरे प्रतिवादी (दूसरे आरोपी) को गिरफ्तार करने से रोकता है।

12. हम स्पष्ट करते हैं कि हमने धारा 482 के तहत याचिका को रद्द करने के लिए याचिका को खारिज करने में हस्तक्षेप नहीं किया है। चूंकि आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है, जैसा कि तमिलनाडु राज्य की ओर से जवाबी हलफनामे में कहा गया है, इसलिए तीसरा प्रतिवादी सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा।

दो सप्ताह के भीतर सक्षम अदालत और नियमित बी. ए. अभियोग के लिए आवेदन पर जांच एजेंसी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जनता की दलीलें सुनने के बाद विचार किया जाएगा।

13. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

किट ज्ञान